Ministry alongwith the action taken on each of them during the last one year; and

(e) if no action taken, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : (a) Yes, Sir. The muster roll employees employed in connection with employer's trade or business in an employment specified in schedule II of Workmen's Compensation Act, 1923 are entitled to compensation in case of disablement or death caused by employment injury.

(b) The Act provides for half monthly payment ranging from Rs. 30/- to Rs. 175/- for temporary disablement and lump-sum payment of Rs. 10,080 to Rs. 42,000 for permanent disablement and Rs. 7,200 to Rs. 30,000 for death, depending on the average monthly wages of the workman.

(c) Section 4A of the Act provides that where any employer is in default in paying the compensation due under the Act, he may be required to pay simple interest at the rate of 6 per cent per annum on the amount due together with, if in the opinion of the Commissioner there is no justification for the delay in payment, a further sum not exceeding 50 percent of the such amount by way of penalty. The Act also provides for imposition of fine upto Rs. 500/- for failure to maintain/furnish prescribed register/returns.

(d) and (e) The enforcement of the provisions of the Act is the iresponsibility of the respective State Governments/Union Territory Administrations. All complaints regarding violation of provisions of the Act are, therefore, orwarded to the concerned States/Union Territories, for appropriate action.

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों का कार्यान्वयन

5630. **श्री राम विलास पासवान : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों का पालन होता है, यदि हां, तो पिछले एक साल में कितने सामान्य आदेश निर्गत किए गए और उनमें से कितने (हिन्दी और अंग्रेजी) दोनों में किए गए ।

(ख) पिछले एक साल में कुल कितने हिन्दी पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने पत्रों का जवाब हिन्दी में दिया गया ।

(ग) मंत्रालय द्वारा कितने प्रकाशन/पत्रिकाएं निकाली गई और उनमें से कितने दोनों भाषाओं में हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किए गए ।

(घ) वर्ष 1968 के बाद कितने कार्यालय/संगठन स्थापित किए गए हैं और इनमें से कितनों को शुरू से ही भारतीय नाम दिए गए थे, और

(ङ) क्या सरकार ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां । गत एक वर्ष के दौरान 497 सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए थे ।

(ख) गत एक वर्ष के दौरान हिन्दी में प्राप्त 188 पत्रों में से 109 पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया है और शेष पत्र या तो सूचनार्थ थे अथवा उत्तर देना अपेक्षित नहीं था ।

(ग) यह मंत्रालय कोई प्रकाशन नहीं निकालता ।

(घ) 1968 के पश्चात मंत्रालय ने 10 कार्यालय/संगठन स्थापित किए हैं, उनमें से 9 कार्यालयों/उपक्रमों के नाम हिन्दी/भारतीय हैं। स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० नामक एक उपक्रम एक पुरानी कंपनी थी जो (आई डी एण्ड आर) अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा 1978 में अधिग्रहित की गई थी। उसके उत्पादों की साख को बनाये रखने के लिए मामूली से परिवर्तन के साथ पुराने नाम को ही बनाये रखा गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय कोयला खान बचाव समिति धनबाद के अधिकारियों द्वारा सरकारी धन का दुर्विनियोग

5631. **श्री डी०पी० यादव:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जुलाई 1981 के दैनिक "चुनौति" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय कोयला खान बचाव समिति धनबाद के अधिकारियों ने भवनों के निर्माण में सरकारी धन का दुर्विनियोग किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Commissioning of New Ulhasnagar Telephone Exchange Project

5632. SHRI J.S. PATIL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) what is the present status of the new Ulhasnagar Telephone Exchange Project; and

(b) when the same is likely to be commissioned?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI VIJAY N. PATIL) : (a) The building for the new Ulhasnagar exchange is now under construction. 7000 lines cross-bar equipment imported from Japan are expected by middle of the current year.

(b) The exchange is expected to be commissioned in early 1985.

Employees Working on Ad-hoc Basis

5633. SHRI N. K. SHEJWALKER : SHRI RAM PRASAD AHIRWAR : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) how many employees in the Ministry are working on ad-hoc basis, category-wise, and the dates from which they are employed;

(b) steps taken to regularise such employees or to fill in such vacancies against whom they are working,

(c) the vacancy position in each division two years ago and how many still remain to be filled; and